

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 — आश्विन 18, शक 1939

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-18/खाद्य/2017/29-1.— भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले के विभाग सा.का.नि. 1013 (अ), नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रत्यक्ष बिक्री एवं बहुस्तरीय विपणन व्यापार (एमएलएम) को विनियमित करने तथा प्रत्यक्ष बिक्री और बहुस्तरीय विपणन (एमएलएम) के संबंध में विद्यमान विनियामक तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए धोखाधड़ी की रोकथाम और उपभोक्ताओं के वैधानिक अधिकारों और हितों का संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करती है, अर्थात्:—

प्रत्यक्ष बिक्री दिशानिर्देश, 2017

खंड 1. परिभाषाएं.— इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68);
- (ख) “उपभोक्ता” का अर्थ वही होगा, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के अधीन उपबंधित है;
- (ग) “उपशमन अवधि” से अभिप्रेत है वह समयावधि, जो उस तारीख से परिगणित की जायेगी, जब प्रत्यक्ष विक्रेता और प्रत्यक्ष बिक्री संस्था, खंड 4 के अधीन अनुबंध करते हैं और जो उस तारीख को समाप्त होगी जिस पर अनुबंध पूरा हो जाता है और, जिसके भीतर प्रत्यक्ष विक्रेता, संविदा भंग के लिए दंड के अधीन हुए बिना, अनुबंध का परित्याग कर सकता है;

- (घ) **“संचालक (खाद्य)”** से अभिप्रेत है संचालक (खाद्य), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन;
- (ङ) **“प्रत्यक्ष विक्रेता”** से अभिप्रेत है विधिक रूप से लागू किए जा सकने वाले लिखित संविदा के माध्यम से प्रमुख से प्रमुख आधार पर प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार चलाने के लिए किसी प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, नियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति;
- (च) **“प्रत्यक्ष बिक्री”** से अभिप्रेत है पिरामिड स्कीम से भिन्न प्रत्यक्ष बिक्री के एक भाग के रूप में वस्तुओं का विपणन, वितरण और वस्तुओं की बिक्री करना या सेवाएं प्रदान करना :

परंतु उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं अथवा सेवाओं की बिक्री, “स्थायी खुदरा अवस्थिति” माध्यम के अतिरिक्त, प्रायः उनके घर में अथवा उनके कार्य स्थल पर ऐसी वस्तुओं के प्रचार और प्रदर्शन के माध्यम से, किसी विशिष्ट स्थान पर करता हो;

- (छ) **“प्रत्यक्ष बिक्री संस्था”** से अभिप्रेत है कोई संस्था, जो पिरामिड स्कीम में संलग्न नहीं हो, जो प्रत्यक्ष विक्रेता के माध्यम से वस्तुओं अथवा सेवाओं की बिक्री या पेशकश करती है:

परंतु “प्रत्यक्ष बिक्री संस्था” में कोई संस्था या व्यापार सम्मिलित नहीं है, जो उक्त प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित हो;

- (ज) **“वस्तुओं”** से अभिप्रेत है वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, 1930 (1930 का 3) में यथा परिभाषित वस्तुएं और “सेवा” से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) में यथा परिभाषित सेवा;
- (झ) **“धन परिचालन स्कीम”** का वही अर्थ होगा, जो इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 (1978 का 43) के अधीन परिभाषित है;

- (ञ) **“प्रत्यक्ष बिक्री का नेटवर्क”** से अभिप्रेत है वितरण के विभिन्न स्तरों पर प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक नेटवर्क, जो अन्य स्तरों पर ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेताओं की भर्ती या प्रवेश अथवा प्रायोजित कर सकते हो, जो तत्पश्चात उनकी सहायता करेंगे;

स्पष्टीकरण.— “प्रत्यक्ष बिक्री का नेटवर्क” से अभिप्रेत है किसी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार के लिए अपनाया गया संवितरण अथवा विपणन का कोई तरीका और इसमें वितरण का मल्टी-लेवल विपणन पद्धति सम्मिलित है;

- (ट) **“संभावना”** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री अवसर प्राप्त करने की पेशकश की गई है या प्रस्ताव दिया गया है;

- (ठ) **“पिरामिड स्कीम”** से अभिप्रेत है अंशदाताओं का एक बहुस्तरीय नेटवर्क, जिसमें अंशदाताओं द्वारा स्कीम में अतिरिक्त अंशदाताओं के कार्य अथवा निष्पादन के लिए भर्ती के परिणामस्वरूप कोई लाभ, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्राप्त करने के क्रम में अथवा एक या अधिक अंशदाताओं को नामांकित किया जाता है। अंशदाता आगे और अंशदाता नामांकित करते हैं और उच्चतर स्थान प्राप्त कर लेते हैं तथा नामांकित किए गए अंशदाता निम्न स्थान पर होते हैं, इस प्रकार आगे से आगे नामांकन करते हुए वे अंशदाताओं का एक बहुस्तरीय नेटवर्क स्थापित कर लेते हैं:

परंतु “पिरामिड स्कीम” की उपर्युक्त परिभाषा उस दशा में लागू नहीं होगी जब अंशदाताओं द्वारा कोई लाभ, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, प्राप्त करने के क्रम में अथवा एक या अधिक अंशदाताओं को नामांकित करके अंशदाताओं का बहुस्तरीय नेटवर्क बनाया गया हो, जहां वस्तुओं अथवा

सेवाओं की अंशदाताओं को बिक्री अथवा उपभोग के परिणाम स्वरूप लाभ होता हो और स्कीम/वित्तीय प्रबंध निम्नलिखित सभी बातों के अनुरूप हों, अर्थात्:-

- (एक) इसमें प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा नये प्रतिभागियों की भर्ती/नामांकन के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया जायेगा;
- (दो) यह निम्नलिखित वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए किसी भागीदार से अपेक्षा नहीं करता है:
 - (एक) उस राशि के लिए जो अनुचित रूप से उस राशि से अधिक है जिस पर ऐसी वस्तुओं अथवा सेवाओं को उपभोक्ताओं को बेचे जाने अथवा पुनः बेचे जाने की संभावना हो सकती है;
 - (दो) वस्तुओं अथवा सेवाओं की उस मात्रा के लिए जो अनुचित रूप से उस राशि से अधिक है, जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किए जाने अथवा बेचे जाने अथवा पुनः बेचे जाने की संभावना है;
- (तीन) इसमें किसी भागीदार से, किसी प्रविष्टि/पंजीकरण शुल्क, बिक्री प्रोत्साहन साधनों और सामग्री की लागत अथवा अन्य भागीदार से शुल्क की अपेक्षा नहीं की गई है;
- (चार) यह भागीदार को भागीदारी की "भौतिक शर्तों" का वर्णन करते हुए, लिखित संविदा उपलब्ध कराता है;
- (पांच) यह भागीदार को स्कीम में भाग लेने अथवा भागीदारी को रद्द करने के लिए उचित उपशमन अवधि की अनुमति अथवा व्यवस्था करता है और प्रचालनों में भाग लेने के लिए विचाराधीन अवधि के लिए प्रतिदाय प्राप्त करता है;
- (छः) यह उचित संदर्भों पर भागीदार के अनुरोध पर भागीदार को विक्रय की जाने वाली "वर्तमान में विपणन योग्य" वस्तुओं अथवा सेवाओं की वापसी खरीद अथवा पुनः खरीद की अनुमति अथवा व्यवस्था करता है;
- (सात) इसमें उपभोक्ताओं के लिए एक शिकायत निवारण तन्त्र स्थापित है जिसका उल्लेख इसके खंड 7 में स्पष्ट रूप से किया गया है।

स्पष्टीकरण 1.- इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए "भौतिक शर्तों" से अभिप्रेत है वापसी खरीद अथवा पुनः खरीद नीति, उपशमन अवधि, वारंटी और प्रतिदाय नीति ।

- (ड) "पारिश्रमिक प्रणाली" से अभिप्रेत है प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा प्रत्यक्ष विक्रेता को क्षतिपूर्ति किए जाने के लिए अपनायी जाने वाली प्रणाली से है, जो मासिक अथवा आवधिक अथवा वार्षिक आधार अथवा दोनों, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्यक्ष विक्रेताओं को प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा दिए गए वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों लाभ और कमीशन के विभाजन के तरीके की व्याख्या करता है। यह प्रणाली, प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के लिए :

ऐसा कोई उपबंध नहीं कि प्रत्यक्ष विक्रेता ऐसी प्रत्यक्ष विक्रय में भाग लेने के लिए भर्ती से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा;

यह सुनिश्चित है कि प्रत्यक्ष विक्रेता ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं अथवा सेवाओं के विक्रय से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा; पारिश्रमिक की गणना के तरीके को स्पष्ट रूप से प्रकट करेगा;

- (ढ) **“बिक्री योग्य”** से अभिप्रेत है वस्तुओं और/या सेवाओं के मामले में, प्रयोग न की गई और विपणन योग्य, जिसकी समयावधि समाप्त न हुई हो, और जो मौसमी, अप्रचलित अथवा विशेष प्रोत्साहन के लिए बनी वस्तुएं और/या सेवाएं न हो;
- (ण) **“राज्य”** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;
- (त) **“राज्य शासन”** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

खण्ड 2. प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय की स्थापना के लिए शर्तें.— राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के बाद प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने के लिए आशयित प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री संस्था, प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन 90 दिनों के भीतर करेगी, अर्थात्:—

- (क) भारत के कानूनों के अधीन यह एक पंजीकृत विधिक संस्था होगी;
- (ख) सभी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेताओं के लिए अनिवार्य अभिमुखी सत्र का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री संचालन के सभी पहलुओं पर उचित और सही सूचना दी जायेगी, जो पारिश्रमिक प्रणाली और नये भर्ती किए गये प्रत्यक्ष विक्रेताओं के लिए संभावित पारिश्रमिक तक ही सीमित नहीं होगी;
- (ग) तर्कसंगत राशि के पारिश्रमिक अवसरों और संबंधित अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों से संबंधित संभावित और विद्यमान प्रत्यक्ष विक्रेताओं को सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना;
- (घ) प्रत्यक्ष विक्रेताओं को देय सभी राशियों का भुगतान करेगा और तर्कसंगत वाणिज्यिक रूप से कटौती करेगा;
- (ङ) प्रत्येक प्रत्यक्ष विक्रेता को तर्कसंगत व्यवसायिक शर्तों पर पूर्ण वापसी अथवा वापसी खरीद गारंटी को अधिसूचित और प्रदान करेगा, जिसे प्रत्यक्ष विक्रेता को वस्तुओं अथवा सेवाओं के वितरण की तारीख से 30 दिनों की कालावधि के भीतर पूरा किया जायेगा;
- (च) प्रत्येक प्रत्यक्ष विक्रेता के लिए एक उपशमन अवधि अधिसूचित और प्रदान करेगा, जो ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेता को उपशमन अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा खरीदी गई किसी वस्तुओं/सेवाओं को वापस करने का हकदार बनायेगी;
- (छ) प्रोत्साहक अथवा मुख्य प्रबंधन कार्मिक पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा, कारावास से दंडित किए जा सकने वाले किसी दांडिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराए गये हों;
- (ज) उपभोक्ताओं और प्रत्यक्ष विक्रेता को उत्पादों के मूल्य, उत्पादों की वापसी अथवा बदलने और वस्तुओं और सेवाओं की सही आपूर्ति और बिक्री के बाद की शिकायतों के निपटान की सुविधा प्रदान करने और संतुष्ट करने के लिए राज्य में इसके संचालन के लिए स्थापित किये गये क्षेत्राधिकार में एक कार्यालय होगा।

खण्ड 3. प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय के संचालन के लिए शर्तें.— प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री संस्था निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात्:—

- (क) संस्था द्वारा बेची जाने वाली अथवा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं अथवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के साथ संस्था की पहचान की दायित्व मालिक, लाईसेंस ट्रेडमार्क, सेवा चिन्ह अथवा किसी अन्य पहचान चिन्ह की धारक की होगी;
- (ख) यह प्रत्यक्ष विक्रेताओं को उचित पहचान दस्तावेज जारी करेगा;

- (ग) यह अपने व्यवसाय संबंधी कार्यों का व्यक्तिगत अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उचित रिकार्ड रखेगा, जिसमें उनकी वस्तुओं, सेवाओं, संविदा की शर्तों, मूल्य, आय योजना, प्रत्यक्ष विक्रेताओं के ब्यौरे सम्मिलित होंगे, किंतु यह नामांकन, रद्द करना, सक्रिय स्थिति, आय आदि तक ही सीमित नहीं होगा; और प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, "प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक रजिस्टर" रखेगी, जिसमें नामांकित किए गए प्रत्येक प्रत्यक्ष विक्रेता के संगत ब्यौरों को अद्यतित और अनुरक्षित किया जाएगा; प्रत्यक्ष विक्रेताओं के ब्यौरों में सत्यापित पता प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाणपत्र और स्थायी खाता संख्या (पैन) सम्मिलित होंगे;
- (घ) यह संस्था के सभी संबंधित ब्यौरों, संपर्क सूचना, इसके प्रबंधन, उत्पादों, उत्पाद सूचना, उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणपत्र, मूल्य, पूर्ण आय योजना, प्रत्यक्ष विक्रेता के साथ संविदा शर्तों और प्रत्यक्ष विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र के साथ वेबसाइट को पूर्ण और अद्यतित रखेगा। वेबसाइट में उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज करवाने हेतु स्थान होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों का समाधान ऐसी शिकायत करने के 45 दिनों के भीतर किया जायेगा;
- (ङ) यह सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं को, प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ किये गये करार के अनुसार यथा अनुकूल, बिक्री, खरीद, आय के ब्यौरे, कमीशन, बोनस और अन्य संबंधित आंकड़ों संबंधी उनके आवधिक खाता/सूचना प्रदान करेंगे। सभी वित्तीय देय प्रदान किए जायेंगे और कटौती तर्कसंगत रीति में वाणिज्यिक रूप से की जायेगी;
- (च) यह मासिक आधार पर अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं/वितरकों की खरीददारी के मूल्य की निगरानी करेगा और यदि कभी खरीद मूल्य, वैट की सीमा को पार करता है तो यह वैट का भुगतान करने के लिए प्रत्यक्ष विक्रेता/वितरक को सूचित करेगा;
- (छ) प्रत्यक्ष बिक्री संस्था निम्नलिखित कार्य नहीं करेगी :
- (एक) अपने संभावित अथवा विद्यमान प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ अपने लेन-देन के कोई भ्रामक, कपटपूर्ण अथवा अनुचित भर्ती पद्धतियां, जिसमें वास्तविक अथवा संभावित बिक्री अथवा आय का गलत ढंग से प्रस्तुतीकरण सम्मिलित हो;
- (दो) संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को ऐसा वास्तविक प्रस्तुतीकरण देना जिसे सत्यापित न किया जा सके अथवा ऐसा वादा करना जिसे पूरा न किया जा सके;
- (तीन) किसी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष बिक्री के किसी लाभ का मिथ्या अथवा कपटपूर्ण कथन करना;
- (चार) अपनी प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार, जिसमें पारिश्रमिक प्रणाली और इसके और प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच करार अथवा इसके द्वारा अथवा प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा बेची जा रही वस्तुओं अथवा प्रदान की जा रही सेवाओं, जो झूठा अथवा भ्रामक हो, सम्मिलित है, के संबंध में कोई प्रस्तुतीकरण करना या करवाना अथवा करने की अनुमति देना;
- (पांच) अपनी प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार, जिसमें पारिश्रमिक प्रणाली और इसके और प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच करार अथवा इसके द्वारा अथवा प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा बेची जा रही वस्तुएं अथवा प्रदान की गई सेवाएं सम्मिलित है, के संबंध में किसी महत्वपूर्ण विशिष्टियां, जिसके झूठी अथवा भ्रामक होने की संभावना है, के संचालन में शामिल होना अथवा अनुमति देना;
- (छः) अपनी प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार, जिसमें पारिश्रमिक प्रणाली और इसके और प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच करार अथवा इसके द्वारा अथवा प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा बेची जा रही वस्तुओं अथवा सेवाएं सम्मिलित हैं की

प्रत्यक्ष बिक्री को बढ़ावा देने के लिए धोखाधड़ी, बल प्रयोग, उत्पीड़न अथवा अतर्कसंगत या गैर कानूनी तरीकों का उपयोग करना या उपयोग करने की अनुमति देना;

(सात) अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं को कोई लाभ उपलब्ध कराना जिसमें प्रवेश शुल्क और नवीनीकरण शुल्क अथवा प्रत्यक्ष बिक्री संचालनों में भाग लेने के लिए बिक्री हेतु प्रदर्शन के लिए उपकरणों अथवा सामग्रियों की खरीद सम्मिलित है;

(आठ) किसी व्यक्ति को सिर्फ प्रत्यक्ष विक्रेताओं के रूप में एक अथवा अधिक व्यक्तियों के परिचय अथवा भर्ती के परिणामस्वरूप कोई लाभ प्रदान करना;

(नौ) प्रत्यक्ष विक्रेता से न्यूनतम मासिक अंशदान अथवा नवीकरण प्रभारों के रूप में कोई पैसा देने की अपेक्षा करना;

(ज) किसी प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा अपनाए गए संवितरण के तरीके में किसी बात के होते हुए भी वह संस्था अपने प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्क के किसी सदस्य द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवायेगा, चाहे उस सदस्य की नियुक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष द्वारा की गई हो।

खंड 4. प्रत्यक्ष विक्रेता/वितरक और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के बीच प्रत्यक्ष बिक्री संविदा की शर्तें.-

1. प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री संस्था नामांकन से पहले प्रत्यक्ष विक्रेता के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समझौता करार निष्पादित करेगा,-

(क) समझौते को भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1972 का 9) की धारा 10 के अनुरूप सुसंगत रीति में प्रस्तुत किया जायेगा;

(ख) इन दिशानिर्देशों अथवा लागू अन्य किसी विधि के अधीन इस समझौते में पक्षकारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त पक्षकारों के पास ऐसे अधिकार एवं कर्तव्य होने चाहिए, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1972 का 9) के अधीन पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों के समरूप हों।

2. समझौता को लिखित में किया जायेगा, जिसमें भागीदारी की महत्वपूर्ण शर्तों का वर्णन होगा और जो,-

(क) प्रत्यक्ष विक्रेता को वस्तुओं अथवा सेवाओं को उस मात्रा में खरीदने के लिए बाध्य अथवा प्रेरित नहीं करेगा, जो उस मात्रा से अनुचित रूप से अधिक हो, जिसे उपभोक्ताओं को उचित समयावधि के भीतर बेचा जा सकता है;

(ख) भागीदारी रद्द करने और खरीदी गई वस्तुओं अथवा सेवाओं हेतु कोई प्रतिदाय करने के क्रम में, प्रत्यक्ष विक्रेता को उचित उपशमन अवधि की अनुमति देना अथवा प्रदान करना;

(ग) ऐसे मामलों में और ऐसी स्थिति में, जहां संविदा आरम्भ करने के दो वर्षों अथवा प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा की गई अंतिम बिक्री की तारीख से प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा वस्तुओं अथवा सेवाओं की कोई बिक्री न की गई हो, उचित नोटिस के साथ संविदा को समाप्त करने की अनुमति देना;

(घ) प्रत्यक्ष विक्रेता के अनुरोध पर, उचित संदर्भ में, प्रत्यक्ष विक्रेता को वर्तमान में विपणन योग्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए वापसी क्रम अथवा पुनःक्रम नीति की अनुमति देना/प्रदान करना।

खंड 5. प्रत्यक्ष विक्रेताओं के कुछ कर्तव्य.-

1. प्रत्यक्ष बिक्री में लगे हुए प्रत्यक्ष विक्रेता को अपने पहचान पत्र साथ रखने चाहिए और पूर्व नियुक्ति/अनुमति के बिना उपभोक्ता परिसर में नहीं जाना चाहिए;

2. बिक्री प्रस्तुतीकरण देते समय सर्वप्रथम, अनुरोध के बिना, सत्यता एवं स्पष्ट रूप से स्वयं की पहचान बताना, प्रत्यक्ष बिक्री संस्था की पहचान बताना, बेची गई वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रकृति और प्रत्याशित उपभोक्ता को अनुरोध करने का उद्देश्य बताना;
3. प्रत्याशित उपभोक्ता को वस्तुओं एवं सेवाओं, मूल्य, साख की शर्तें, भुगतान की शर्तें, वापसी की नीतियां, गारंटी की शर्तें, बिक्री के पश्चात् की सेवाओं का स्पष्ट एवं सम्पूर्ण विवरण तथा निरूपण प्रदान करना;
4. बिक्री के समय प्रत्याशित/उपभोक्ताओं को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करना, अर्थात्:
 - (क) प्रत्यक्ष विक्रेता का नाम, पता, पंजीकरण संख्या अथवा नामांकन संख्या, पहचान का प्रमाण और टेलीफोन नम्बर तथा प्रत्यक्ष बिक्री संस्था का विवरण;
 - (ख) आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं अथवा सेवाओं का विवरण;
 - (ग) लेन-देन से पूर्व, उपभोक्ता को कंपनी की वस्तुओं की वापसी की नीतियों के बारे में विस्तार से बताना;
 - (घ) आदेश की तारीख, उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि, बिल और रसीद सहित;
 - (ङ) नमूने के निरीक्षण और वस्तु की सुपुर्दगी का समय एवं स्थान;
 - (च) अपने आदेश को रद्द करने के अधिकार की जानकारी और/अथवा विक्रय-योग्य स्थिति में उत्पाद की वापसी और भुगतान की गई राशि का पूर्ण प्रतिदाय;
 - (छ) शिकायत प्रतितोष तंत्र के संबंध में विवरण।
5. प्रत्यक्ष विक्रेता, लेखों की उचित पुस्तिका रखेगा, जिसमें उत्पादों, मूल्य, कर और मात्रा का विवरण और उनके द्वारा बेची गई वस्तुओं के संबंध में ऐसे अन्य विवरण, ऐसे प्ररूप में होंगे जैसा कि प्रयोज्य विधि में हो।
6. प्रत्यक्ष विक्रेता निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा,—
 - (क) भ्रामक, कपटपूर्ण और/अथवा अनुचित व्यापार पद्धतियों का प्रयोग;
 - (ख) भ्रामक, झूठे, कपटपूर्ण और/अथवा अनुचित नियुक्ति पद्धतियों का प्रयोग, जिसमें संभावित प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ उनके सम्पर्क में वास्तविक अथवा संभावित बिक्री अथवा आय की गलत प्रस्तुति और किसी भावी प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रत्यक्ष बिक्री के लाभ सम्मिलित हैं;
 - (ग) संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को ऐसा कोई वास्तविक प्रस्तुतिकरण देना जिसे सत्यापित न किया जा सके अथवा ऐसा कोई वादा करना जिसे पूरा न किया जा सके;
 - (घ) संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को झूठे और/अथवा कोई कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष बिक्री का लाभ प्रदान करना;
 - (ङ) प्रत्यक्ष बिक्री संचालन से संबंधित कोई प्रस्तुतिकरण, जो जानबूझकर किया जाये, छोड़ा जाये अथवा ऐसा करने की अनुमति दी जाये, जिसमें सम्मिलित है प्रत्यक्ष बिक्री संस्था और प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच पारिश्रमिक प्रणाली और समझौता अथवा ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा बेची जा रही वस्तुयें और/अथवा सेवायें, जो झूठी और/अथवा भ्रामक हो;
 - (च) अनुचित रूप से अधिक मात्रा में वस्तुओं और/अथवा सेवाओं को खरीदने के लिए पहली बार उल्लिखित प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा नियुक्त प्रत्यक्ष विक्रेता से अपेक्षा करना अथवा उनको प्रोत्साहित करना;
 - (छ) कोई साहित्य और/अथवा प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना जो मूल प्रत्यक्ष बिक्री संस्था के भीतर और बाहर संभावित और/अथवा विद्यमान प्रत्यक्ष विक्रेताओं को प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा जारी आनुषंगिक तक ही सीमित न हो;

(ज) संभावित अथवा विद्यमान प्रत्यक्ष विक्रेताओं को किसी साहित्य अथवा प्रशिक्षण सामग्रियां अथवा बिक्री हेतु प्रदर्शन उपकरण खरीदने की अपेक्षा करना।

खंड 6. प्रत्यक्ष बिक्री संस्था और प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच संबंध.—

- 1 प्रत्यक्ष बिक्री संस्था और प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच संबंध को पक्षकारों के बीच हुए लिखित करार के अनुसार निर्धारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री संस्था और प्रत्यक्ष विक्रेता के लिये दिये गये दिशानिर्देशों के अधीन प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार चलाने के लिए शर्तों के रूप में स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराये गये अधिकार और कर्तव्य ही सम्मिलित होंगे।
- 2 अन्य सभी अधिकार और कर्तव्य, लिखित करार की स्पष्ट शर्तों के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे, जब तक प्रत्यक्ष बिक्री संस्था और प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच संविदा के रूप में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।
- 3 प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा, उत्पादों, सेवाओं अथवा व्यवसाय के अवसरों से होने वाली शिकायतों के लिए प्रत्यक्ष बिक्री संस्था उत्तरदायी होगी।
- 4 प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा अपनाई गई प्रथाओं/तरीकों की निगरानी और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष बिक्री संस्था की होगी।

खंड 7. उपभोक्ता के संरक्षण हेतु आचरण.—

1. उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी निजी सूचनाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष विक्रेताओं और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई समुचित उपाय करेंगे।
2. प्रत्यक्ष विक्रेताओं और प्रत्यक्ष बिक्री संस्था को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित किया जायेगा।
3. शिकायत का पता लगाने और प्रतितोष में लगने वाले समय का रिकार्ड रखने के लिए फोन, ई-मेल, वेबसाइट, डाक और व्यक्तिगत रूप से प्राप्त सभी शिकायतों की शिकायत संख्या होनी चाहिये।
4. प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री संस्था, शिकायत निवारण समिति का गठन करेगा, जिसके गठन, उत्तरदायित्वों की प्रकृति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किंतु यह निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे,—

(क) प्रत्यक्ष बिक्री संस्था के कम से कम तीन अधिकारी; शिकायत निवारण समिति शिकायतों को सम्बोधित करेगी और की गई कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ताओं को दी जायेगी;

(ख) आम जनता के किसी सदस्य द्वारा, कंपनी के प्रत्यक्ष विक्रेता, संस्था के कर्मचारी अथवा किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है;

(ग) ऐसी सभी शिकायतों का निपटारा सीधे, प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा किया जायेगा;

5. प्रत्यक्ष बिक्री संस्था, खरीद पर उपभोक्ता को सूचना उपलब्ध कराएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(क) खरीददार एवं विक्रेता का नाम;

(ख) वस्तुओं अथवा सेवाओं की सुपुर्दगी की तारीख;

(ग) वस्तुओं की वापसी करने की प्रक्रिया; और

(घ) वस्तुओं को बदलना/त्रुटि के मामले में वस्तुओं का विनिमय/प्रतिस्थापन:

परंतु यह कि प्रत्यक्ष विक्रेता, बिक्री होने पर, ऐसा कोई दावा नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा प्राधिकृत दावों के प्रतिकूल हो।

6. कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष बिक्री संस्था के किसी उत्पाद अथवा सेवा को, बिक्री अथवा प्रस्ताव के लिए रखता है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म/बाजार स्थल सम्मिलित हैं, को ऐसी बिक्री अथवा प्रस्ताव करने के क्रम में संबंधित प्रत्यक्ष बिक्री संस्था से लिखित में पूर्व सहमति लेना चाहिये।

खंड 8. धन परिचालन स्कीम और पिरामिड स्कीम पर रोक.—

1. कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था, प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने का दिखावा करते हुए, खंड 1 के उप-खंड (ठ) में परिभाषित पिरामिड स्कीम का समर्थन नहीं करेगा अथवा किसी भी व्यक्ति को ऐसी स्कीम अथवा किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था में भाग लेने के लिये नामांकित नहीं करेगा।
2. कोई व्यक्ति अथवा संस्था प्रत्यक्ष बिक्री के व्यवसाय अवसरों का दिखावा करते हुए, खंड 1 के उप-खंड (झ) में परिभाषित धन संचालन स्कीम में भागीदारी नहीं करेगा।

खंड 9. निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति.—

1. राज्य में, प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित मामलों से निपटने के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नोडल विभाग होगा;
2. प्रत्यक्ष बिक्री के लिये दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में, प्रत्यक्ष विक्रेताओं, प्रत्यक्ष बिक्री संस्था की गतिविधियों की निगरानी/निरीक्षण करने के लिये संचालक (खाद्य), प्राधिकृत होंगे; उनके द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री के लिये दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में, प्रत्यक्ष विक्रेताओं, प्रत्यक्ष बिक्री संस्था की गतिविधियों की निगरानी/निरीक्षण करने के लिये, जिला खाद्य नियंत्रक/जिला खाद्य अधिकारी को प्राधिकृत किये जा सकेंगे।
3. कोई प्रत्यक्ष बिक्री संस्था, जो प्रत्यक्ष बिक्री संबंधी गतिविधियां संचालित करती है, संचालक (खाद्य), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन को वचनपत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें बताया जायेगा कि वह इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी और अपने निगमन के ऐसे ब्यौरे तथा व्यवसाय संबंधी ऐसे अन्य ब्यौरे, जो कि समय-समय पर अधिसूचित किये जाये, उपलब्ध कराएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

प्रत्यक्ष बिक्री इकाईओं / कंपनियों द्वारा की जाने वाली घोषणा

प्रारूप

भाग-क

1	(एक) कम्पनी का नाम (जैसा पंजीकृत है) (दो) सीआईएन सं: (तीन) निदेशक मंडल का नाम एवं पता (विवरण संलग्न करें)	
2	पंजीकरण का विवरण (क्षेत्राधिकार सहित) (क) पंजीकृत कार्यालय का पता (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें): (ख) ई-मेल: (ग) दूरभाष नम्बर: (घ) कंपनी का वेबसाइट: (ङ) अन्य पंजीकरणों का विवरण (क्षेत्राधिकार सहित), यदि कोई है (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें) (च) इकाई का प्रकार (निजी, सार्वजनिक, ट्रस्ट, लिमिटेड इत्यादि)	
3	प्रधान कार्यालय (क) पता (ख) ई-मेल (ग) कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकरण के अनुसार मुख्य प्रबंधकर्ता व्यक्ति का विवरण (घ) क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण: (ङ) उपभोक्ता मामले विभाग से बातचीत करने के लिये नोडल अधिकारी; (नाम, पदनाम, दूर. नं., ई-मेल, फ़ैक्स, मोबाईल नं.)	
4	क्या विगत 5 वर्षों (आवेदन की तारीख से) के दौरान प्रबंधक में से किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। यदि हां, तो उसका विवरण दें;	
5	क्या उत्पाद अथवा सेवाओं या दोनों की प्रत्यक्ष बिक्री की जा ही है?	
6	लाईसेंस (लाईसेंसों), ट्रेडमार्क या कंपनी की पहचान को दर्शाने वाले प्रमुख ब्रांड का विवरण:	
7	(एक) ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण कक्षों का पता/दूरभाष नं./ई-मेल इत्यादि (मु.का. एवं शाखाओं); (दो) दिशानिर्देशों के अनुरूप उपभोक्ता शिकायत निवारण समिति का विवरण: क. सदस्य नाम, फोन नं. एवं ई-मेल: ख. सदस्य नाम, फोन नं. एवं ई-मेल: ग. सदस्य नाम, फोन नं. एवं ई-मेल:	

भाग-ख

(प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार का विवरण)

8	उत्पादों/पेश की गई सेवाओं का विवरण (वेबसाइटों के लिंक दें)	हां/नहीं
9	कृपया अपनी प्रत्यक्ष बिक्री स्कीम के संबंध में निम्नलिखित की पुष्टि करें:- (क) हमारे यहां नये प्रतिभागियों की भर्ती/नामांकन करने पर किसी प्रत्यक्ष विक्रेता को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है और यह व्यवस्था है कि प्रत्यक्ष विक्रेताओं को केवल वस्तुओं अथवा सेवाओं की बिक्री के कारण ही पारिश्रमिक दिया जाता है। (ख) किसी भागीदारी के लिए वस्तुएं अथवा सेवाएं खरीदना आवश्यक नहीं है: (एक) उस संभावित राशि, जो ऐसी वस्तुयें अथवा सेवायें उपभोक्ता को बेचने अथवा पुनः बेचने से प्राप्त होती, से अधिक राशि की; (दो) वस्तुओं अथवा सेवाओं की वह संभावित मात्रा, जो उपभोग द्वारा या उपभोक्ताओं को बेचने अथवा पुनः बेचने से अधिक हो; (ग) हम किसी भागीदार से संबंधित भागीदारिता के लिये कोई प्रवेश/पंजीकरण शुल्क, बिक्री हेतु प्रदर्शित किये जाने वाले उपकरण और सामग्री की लागत अथवा अन्य कोई शुल्क नहीं लेते हैं; (घ) हम भागीदार को एक लिखित करार उपलब्ध कराते हैं, जिसमें भागीदारिता की "भौतिक शर्तों" का उल्लेख होता है; (ङ) हम भागीदार को स्कीम में भागीदारी करने के लिये अथवा उसे न करने के लिए समुचित समय देते हैं और संचालनों के दौरान भागीदार को दिये गये किसी लाभ को वापस लेते हैं; (च) हमारे यहां भागीदार के अनुरोध पर उन्हें तर्कसंगत शर्तों पर बेची गई "वर्तमान विपणन योग्य" वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने अथवा पुनः खरीद करने की अनुमति देने के लिए नीति की व्यवस्था है।	हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं
	टीप: 1. उपरोक्त के संबंध में एक संलग्नक में विवरण दें। 2. यदि इस पैरा में किसी प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया एक संलग्नक में कारणों सहित पूर्ण विवरण दें।	
10	(क) क्या प्रत्यक्ष बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं को समुचित पहचान दस्तावेज जारी किये गये हैं (ख) क्या आपके द्वारा "प्रत्यक्ष विक्रेता के रजिस्टर" का रख रखाव किया जा रहा है, जिसमें नामांकित किये गये प्रत्येक प्रत्यक्ष विक्रेता के सत्यापित किये जा सकने योग्य पता, पहचान	हां/नहीं

	और आयकर अधिनियम के अनुसार पैन के विवरण रखे जाते हैं और अद्यतन किये जाते हैं।	हां/नहीं
	(ग) वैट का भुगतान करने की क्या व्यवस्था है? विवरण दें।	
11	(क) क्या वेबसाइट समुचित रूप से व्यवस्थित है और क्या उस पर प्रत्यक्ष विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए सभी प्रासंगिक विवरणों, संपर्क की जानकारी, प्रबन्धन, उत्पादों, उत्पाद की जानकारी और शिकायत निवारण तन्त्र की जानकारी देते हुये नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। (ख) क्या आपके पास उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाईन अथवा अन्यथा दर्ज कराने की व्यवस्था है और क्या उन शिकायतों का समाधान शिकायत करने के 45 दिन के भीतर कर दिया जाता है। विवरण उपलब्ध करायें।	हां/नहीं
12	टीप/टिप्पणियां, यदि कोई है।	

भाग-ग

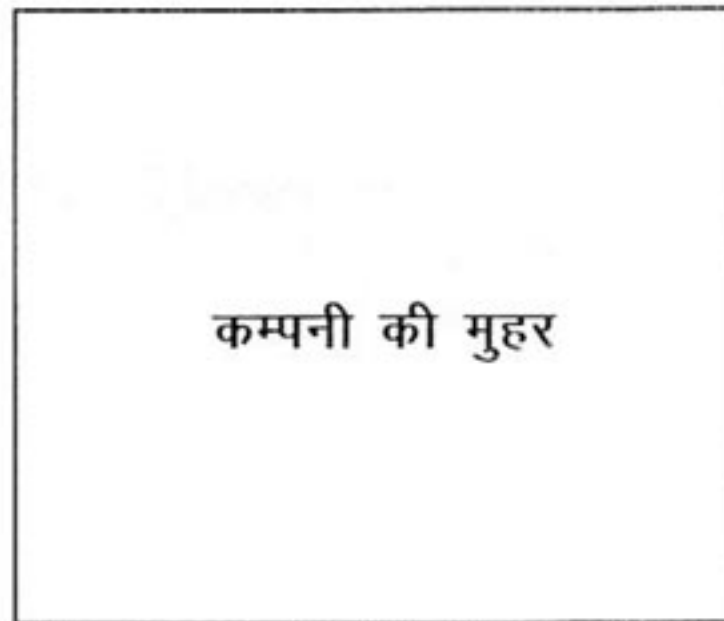
(प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार का विवरण)

मैं/हम,.....की में क्षमता.....की.....कंपनी/फर्म के रूप में यह घोषणा करते हैं कि हम निम्नलिखित का अनुपालन कर रहे हैं :

- (क) हम, प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार को संचालित करने के लिये, खंड 1 (ठ) में यथा परिभाषित किसी पिरामिड स्कीम को बढ़ावा नहीं देते या किसी व्यक्ति को ऐसी किसी व्यवस्था में किसी भी रूप में नामांकित नहीं करते।
- (ख) हम, प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार को संचालित करने के लिए खंड 1 (झ) में यथा परिभाषित किसी धन परिचालन स्कीम में भाग नहीं लेते।
- (ग) हम, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता विभाग, दिनांक 9 सितम्बर, 2016 को एफ सं. 21/18/2014-आईटी (खंड-दो) द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों में उल्लिखित शेष सभी निर्देशों का अनुपालन करते हैं और समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले सभी विवरण भी उपलब्ध करायेंगे।

स्थान:

हस्ता/-



नाम.....

पदनाम.....

टेली. नं.....

ई-मेल.....

उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र/उप-विधियां/एसोसिएशन का ज्ञापन
2. संपर्क विवरण सहित, निदेशक मंडल की सूची
3. प्रत्यक्ष बिक्री स्कीम और क्षतिपूर्ति के संक्षिप्त विवरण
4. प्रत्यक्ष विक्रेताओं/वितरकों के साथ किये जाने वाले करार का नमूना

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर, 2017

पृ.क्रमांक एफ 10-18/खाद्य/2017/29-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर, 2017, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, 9th October 2017

NOTIFICATION

F 10-18/2017/29-1/Food.—In Pursuance of the Guidelines issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs vide G.S.R. 1013(E), New Delhi, dated 26th October, 2016, the State Government, hereby, issues the following guidelines for regulating the business of Direct Selling and Multi-Level Marketing (MLM) and strengthen the existing regulatory mechanism on Direct Selling and Multi-Level Marketing (MLM), for preventing fraud and protecting the legitimate rights and interests of consumers, namely:-

DIRECT SELLING GUIDELINES, 2017

Clause 1. Definitions.- In these Guidelines unless and otherwise required,-

- (a) "**Act**" means the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);
- (b) "**Consumer**" shall have the same meaning as provided under the Consumer Protection Act, 1986(68 of 1986);
- (c) "**Cooling-off Period**" means the duration of time counted from the date when the direct seller and the direct selling entity enter into an agreement under Clause 4 and ending with date on which the contract is to be performed and within which the direct seller may repudiate the agreement without being subject to penalty for breach of contract;
- (d) "**Director (Food)**" means Director (Food), Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Government of Chhattisgarh.
- (e) "**Direct Seller**" means a person appointed or authorized, directly or indirectly, by a Direct Selling Entity through a legally enforceable written contract to undertake direct selling business on principal to principal basis.
- (f) "**Direct Selling**" means marketing, distribution and sale of goods or providing of services as a part of network of Direct Selling other than under a pyramid scheme :

Provided that such sale of goods or services occurs otherwise than through a "permanent retail location" to the consumers, generally in their houses or at their workplace or through explanation and demonstration of such goods and services at a particular place;

- (g) **“Direct Selling Entity”** means an entity, not being engaged in a pyramid scheme, which sells or offers to sell goods or services through a direct seller :

Provided that "direct Selling entity" does not include any entity or business notified otherwise by the Government for the said purpose from time to time.

- (h) **“Goods”** means good as defined in the Sale of Goods Act, 1930 (3 of 1930) and "Service" means service as defined in the consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);
- (i) **“Money Circulation Scheme”** has the same meaning as defined under the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 (43 of 1978);
- (j) **“Network of Direct Selling”** means a network of direct sellers at different levels of distribution, who may recruit or introduce or sponsor further levels of direct sellers, who they then support:

Explanation.- “network of direct selling” shall mean any system of distribution or marketing adopted by a direct selling entity to undertake direct selling business and shall include the multi-level marketing method of distribution.

- (k) **“Prospect”** means a person to whom an offer or a proposal is made by the Direct Seller to join a Direct Selling opportunity;
- (l) **“Pyramid Scheme”** means a multi layered network of subscribers to a scheme formed by subscribers enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit, directly or indirectly, as a result of enrolment, action or performance of additional subscribers to the scheme. The subscribers enrolling further subscriber(s) occupy higher position and the enrolled subscriber(s) lower position, thus, with successive enrolments, they form multi-layered network of subscribers.

Provided that the above definition of a “Pyramid Scheme” shall not apply to a multi layered network of subscribers to a scheme formed by a Direct Selling Entity, which consists of subscribers enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit, directly or indirectly, where the benefit is as a result of sale of goods or services by subscribers and the scheme/financial arrangement complies with all of the following:

- i. It has no provision that a Direct Seller will receive remuneration or incentives for the recruitment / enrolment of new participants.
- ii. It does not require a participant to purchase goods or services :
 - (one) for an amount that exceeds an amount for which such goods or services can be expected to be sold or resold to consumers;
 - (two) for a quantity of goods or services that exceeds an amount that can be expected to be consumed by, or sold or resold to consumers;
- iii. It does not require a participant to pay any entry/registration fee, cost of sales demonstration equipment and materials or other fees relating to participation;
- iv. It provides a participant with a written contract describing the “material terms” of participation;
- v. It allows or provides for a participant a reasonable cooling-off period to participate or cancel participation in the scheme and receive a refund of any consideration given to participate in the operations;

- vi. It allows or provides for a buy-back or repurchase policy for “currently marketable” goods or services sold to the participant at the request of the participant at reasonable terms;
- vii. It establishes a grievance redressal mechanism for consumers, more particularly described in Clause 7 herein.

Explanation 1. – For the purposes of this proviso the term “material terms” shall means buy-back or repurchase policy; cooling-off period, warranty and refund policy

(m) **“Remuneration System”** means the system followed by the direct selling entity to compensate the direct seller which illustrates the mode of sharing of incentives, profits and commission, including financial and non-financial benefits, paid by the direct selling entity to the direct sellers, on a monthly or periodic or yearly basis or both, as the case may be. This system, for every Direct Selling entity, shall :

- i. have no provision that a direct seller will receive remuneration from the recruitment to participate in such direct selling;
- ii. ensure that direct sellers shall receive remuneration derived from the sale of goods or services;
- iii. clearly disclose the method of calculation of remuneration.

(n) **“Saleable”** shall means, with respect to good and/ or services, unused and marketable, which has not expired, and which is not seasonal, discontinued or special promotional good and/ or services;

(o) **“State”** means the State of Chhattisgarh;

(p) **“State Government”** means the Government of Chhattisgarh.

Clause 2. Conditions for the setting up of Direct Selling Business.-Every Direct selling entity intending to carry out direct selling business subsequent to the publication of the notification in the Gazette, shall within 90 days comply with the following set of conditions for the conduct of direct selling business, namely:-

- (a) it shall be a registered legal entity under the laws of India.
- (b) it shall provide a mandatory orientation session to all prospective direct sellers providing fair and accurate information on all aspects of the direct selling operation, including but not limited to the remuneration system and expected remuneration for newly recruited direct sellers;
- (c) it shall provide accurate and complete information to prospective and existing direct sellers concerning the reasonable amount of remuneration opportunity, and related rights and obligations;
- (d) it shall pay all dues and make withholdings from direct sellers in a commercially reasonable manner;
- (e) notify and provide a full refund or buy-back guarantee to every direct seller on reasonable commercial terms which can be exercised within a period of 30 days, from the date of the distribution of the goods or services to the direct seller;
- (f) notify and provide to every direct seller a cooling-off period which entitles such direct seller to return any goods /services purchased by the direct seller during the cooling-off period;
- (g) the promoter or key management personnel should not have been convicted of any criminal offence punishable with imprisonment in last 5 years by any Court of competent jurisdiction;

- (h) it shall have an office with identified jurisdiction of its operation in the State to enable the consumers and direct seller to acquaint themselves with price of products, return or replacement of products and efficient delivery of goods and services, and post-sale redressal of grievances;

Clause 3: Conditions for conduct of Direct Selling Business.- Every Direct Selling entity shall comply with the following conditions, namely:-

- (a) it shall be the owner, holder, licensee of a trademark, service mark or any other identification mark which identifies the entity with the goods to be sold or supplied or services to be rendered;
- (b) it shall issue proper identity document(s) to its Direct Sellers;
- (c) it shall maintain proper records either manual or electronic of their business dealings, with complete details of their goods, services, terms of contract, price, income plan, details of direct sellers, including but not limited to enrolment, termination, active status, earning etc; and shall maintain a "Register of Direct Sellers" wherein relevant details of each enrolled Direct Seller shall be updated and maintained; The details of Direct Sellers shall include and not be limited to verified proof of address, proof of identity and Permanent Account Number(PAN);
- (d) it shall maintain proper and updated website with all relevant details of the entity, contact information, its management, products, product information, product quality certificate, price, complete income plan, terms of contract with direct seller and complaint redressal mechanism for direct sellers and consumers. The website should have space for registering consumer complaints and should ensure that grievances are addressed within 45 days of making such complaints;
- (e) it shall provide to all direct sellers their periodic account / information concerning, as applicable, sales, purchases, details of earnings, commissions, bonus and other relevant data, in accordance with agreement with the direct sellers. All financial dues shall be paid and any withholding made in a commercially reasonable manner;
- (f) it shall monitor the value of the purchases of all its Direct Sellers/Distributors on a monthly basis and once the purchase value crosses the VAT threshold; it must intimate the Direct seller/Distributor to pay the VAT;
- (g) A Direct Selling entity shall not :
- i. use misleading, deceptive or unfair recruiting practices, including misrepresentation of actual or potential sales or earnings, in their interaction with prospective or existing direct sellers;
 - ii. make any factual representation to a prospective direct seller that cannot be verified or make any promise that cannot be fulfilled;
 - iii. present any advantages of direct selling to any prospective direct seller in a false or deceptive manner;
 - iv. make or cause, or permit to be made, any representation relating to its direct selling business, including remuneration system and agreement between itself and the direct seller, or to the goods or services being sold by itself or by the direct seller which is false or misleading;
 - v. engage in, or cause or permit, any conduct that is misleading or likely to mislead with regard to any material particulars relating to its direct selling business, including remuneration system and

agreement between itself and the direct seller, or to the goods or services being sold by itself or by the direct seller;

- vi. use, or cause or permit to be used, fraud, coercion, harassment, or unconscionable or unlawful means in promoting its direct selling practice, including remuneration system and agreement between itself and the direct seller, or to the goods or services being sold by itself or by the direct seller;
- vii. require its direct sellers to provide any benefit, including entry fees and renewal fees or to purchase any sales demonstration equipment or material in order to participate in its direct selling operations;
- viii. provide any benefit to any person for the introduction or recruitment of one or more persons as direct sellers;
- ix. require the direct sellers to pay any money by way of minimum monthly subscription or renewal charges;

(h) Notwithstanding the distribution system adopted by a direct selling entity, the Direct Selling Entity shall be responsible for compliance of these Guidelines by any member of its network of direct selling, whether such member is appointed directly or indirectly by the Direct Selling Entity.

Clause 4: Conditions for Direct Selling contract between Direct Seller/Distributor and Direct Selling Entity.-

1. Every Direct Selling entity shall execute a contract agreement, whether directly or indirectly, with Direct Sellers before enrolment: -
 - (a) the Agreement shall be provided in a manner consistent with Section 10 of the Indian Contract Act, 1872;(9 of 1972)
 - (b) in addition to the rights and obligations of parties to this agreement under these guidelines or any other law in force, parties shall have rights and obligations that are coextensive with rights and obligations of parties under the Indian Contract Act, 1872;(9 of 1972)
2. The agreement shall be made in writing, describing the material terms of participation and shall:
 - (a) not compel or induce the direct seller to purchase goods or services in an amount that exceeds an amount that can be expected to be sold to consumers within a reasonable period of time;
 - (b) allow or provide the direct seller a reasonable cooling-off period in which to cancel participation and receive a refund for goods or services purchased;
 - (c) allow for the termination of contract, with reasonable notice, in such instances and on such terms where a direct seller is found to have made no sales of goods or services for a period of up to two years since the contract was entered into, or since the date of the last sale made by the direct seller;
 - (d) allow or provide for a buy-back or repurchase policy for currently marketable goods or services sold to the direct seller at the said direct seller's request at reasonable terms .

Clause 5. Certain obligations of Direct Sellers.-

1. Direct Seller engaged in direct selling should carry their identity card and not visit the customer's premises without prior appointment/approval;
2. At the initiation of a sales representation, without request, truthfully and clearly identify themselves, the identity of the direct selling entity, the nature of the goods or services sold and the purpose of the solicitation to the prospective consumer;
3. Offer a prospective consumer accurate and complete explanations and demonstrations of goods and services, prices, credit terms, terms of payment, return policies, terms of guarantee, after-sales service;
4. Provide the following information to the prospect / consumers at the time of sale, namely:
 - (a) name, address, registration number or enrollment number, identity proof and telephone number of the direct seller and details of direct selling entity;
 - (b) a description of the goods or services to be supplied;
 - (c) explain to the consumer about the goods return policy of the company in the details before the transaction;
 - (d) the Order date, the total amount to be paid by the consumer along with the bill and receipt;
 - (e) time and place for inspection of the sample and delivery of good;
 - (f) information of his/her rights to cancel the order and / or to return the product in saleable condition and avail full refund on sums paid;
 - (g) details regarding the complaint redressal mechanism;
5. A direct seller shall keep proper book of accounts stating the details of the products, price, tax and the quantity and such other details in respect of the goods sold by him/her, in such form as per applicable law.
6. A direct seller shall not,-
 - (a) use misleading, deceptive and / or unfair trade practices;
 - (b) use misleading, false, deceptive, and / or unfair recruiting practices, including misrepresentation of actual or potential sales or earnings and advantages of Direct Selling to any prospective direct seller, in their interaction with prospective direct sellers;
 - (c) make any factual representation to a prospective direct seller that cannot be verified or make any promise that cannot be fulfilled;
 - (d) present any advantages of Direct Selling to any prospective direct seller in a false and / or a deceptive manner;
 - (e) knowingly make, omit, engage, or cause, or permit to be made, any representation relating to the Direct Selling operation, including remuneration system and agreement between the Direct Selling entity and the direct seller, or the goods and / or services being sold by such direct seller which is false and / or misleading;
 - (f) require or encourage direct sellers recruited by the first mentioned direct seller to purchase goods and / or services in unreasonably large amounts;

- (g) provide any literature and / or training material not restricted to collateral issued by the Direct Selling entity, to a prospective and / or existing direct sellers both within and outside the parent Direct Selling entity, which has not been approved by the parent Direct Selling entity;
- (h) require prospective or existing direct sellers to purchase any literature or training materials or sales demonstration equipment.

Clause 6. Relationship between Direct Selling Entity and Direct Seller.-

1. The relationship between Direct Selling entity and Direct Seller shall be determined as per the written agreement between the parties which shall contain the rights and obligations that are expressly provided as conditions for the conduct of Direct Selling business as well as provide for the obligation of the direct selling entity and the direct seller in terms of these guidelines;
2. All other rights and obligations shall be determined as per the express terms of written agreement between a Direct Selling entity and Direct Seller;
3. The Direct Selling entity will be liable for grievances arising out of sale of products, services or business opportunity by its Direct Sellers;
4. It will be the responsibility of the Direct Selling entity to monitor and control the practices/methods adopted by the Direct Sellers;

Clause 7. Conduct for the Protection of Consumer.-

1. Direct Sellers and Direct Selling Entity shall take appropriate steps to ensure the protection of all private information provided by a consumer;
2. Direct Sellers and Direct Selling Entity shall be guided by the provision of the Consumer Protection Act 1986(68 of 1986).
3. All complaints received over phone, email, website, post and walk-in should have a complaint number for tracing and tracking the complaint and record time taken for redressal;
4. Every Direct Selling company shall constitute a Grievance Redressal Committee whose composition, nature of responsibilities shall include but not limited to,-
 - (a) at least three officers of the direct Selling entity; the Grievance Redressal Committee shall address complaints and inform complainants of any action taken;
 - (b) complaints may be made by any member of the general public against a Direct Seller of the company, an employee or any other officer of the entity;
 - (c) All such grievances will be resolved directly by the Direct Selling Entity;
5. The direct selling entity shall provide information to the consumer upon purchase which shall contain :
 - (a) the name of the purchaser and seller;
 - (b) the delivery date of goods or services;
 - (c) procedures for returning the goods; and
 - (d) warranty of the goods and exchange / replacement of goods in case of defect.

Provided that no Direct Seller shall, in pursuance of a sale, make any claim that is not consistent with claims authorized by the Direct Selling Entity.

6. Any person who sells or offers for sale, including on an e-commerce platform / marketplace, any product or service of a Direct Selling Entity must have prior written consent from the respective Direct Selling Entity in order to undertake or solicit such sale or offer.

Clause 8. Prohibition of Pyramid Scheme & Money Circulation Scheme.-

1. No person or entity shall promote a Pyramid Scheme, as defined in Clause (1) of Clause 1 or enrol any person to such scheme or participate in such arrangement in any manner whatsoever in the garb of doing Direct Selling business.
2. No person or entity will participate in Money Circulation Scheme, as defined in sub-clause (i) of Clause 1 in the garb of Direct Selling of Business Opportunities.

Clause 9. Appointment of Monitoring Authority.-

1. The Nodal department to deal with the issues related to Direct Selling will be Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection in the State;
2. Director (Food) shall be the authority to monitor/supervise the activities of Direct Sellers, Direct Sell Entity regarding compliance of the guidelines for Direct Selling; He may further authorise District Food Controller/ District Food Officer for supervision/ monitoring of activities of Direct Sellers, Direct Selling Entity regarding compliance of the guidelines for Direct Selling.
3. Any direct selling entity conducting direct selling activities shall submit an undertaking to the Director (Food), Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Government of Chhattisgarh stating that it is in compliance with these guidelines and shall also provide such details of its incorporation and other business details as may be notified from time to time.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

Declaration by Direct Selling Entities/Companies**PROFORMA****PART-A**

1	(i) Name of the Company (As Registered) (ii) CIN No: (iii) Name and address of Directors on Board (Enclose details)	
2	DETAILS OF REGISTRATION (WITH JURISDICTION) (a) Address of Registered Office(Enclose copy of Registration Certificate): (b) Email: (c) Telephone Nos: (d) Company Website: (e) Details of other registrations (with jurisdiction), if any (Attach copy of Registration certificate) (f) Type of Entity (Private, Public, Trust, Ltd. Etc.)	
3	HEAD OFFICE (a) Address (b) E-mail (c) Details of Key Management Personnel as per registration under the companies Act (d) Details of Regional Offices: (e) Nodal Officer for interaction with D/o Consumer Affairs; (Name, designation, Tel No., e-mail, Fax, mobile No.)	
4	Whether any one from the Management was convicted by any court in the past within the past 5 years (from the date of application). if so, the details thereof;	
5	Whether direct selling is of Products or Services or both?	
6	Details of License(s), Trade Mark or Principal Brand which identifies the company:	

7	(i) Address/Telephone Nos./e-mails etc. of Customer Care & Grievance Redress Cells (HQ & Branches); (ii) Details of Consumer Grievance Redress Committee as per guidelines: a. Member Name, Phone No and email: b. Member Name, Phone No and email: c. Member Name, Phone No and email:	
---	---	--

PART-B**(Direct Selling Business Details)**

8	Details of Products/ Services offered (Give link of websites)	Yes/No
9	Please confirm the following about your direct selling scheme:-	Yes/No
	(a) It has no provision that a Direct Seller will receive remuneration or incentives for the recruitment/ enrolment of new participants and provide that direct sells will receive remuneration derived only from the sale of goods or services.	
	(b) It does not require a participant to purchase goods or services:	Yes/No
	i. for an amount that exceeds an amount for which such goods or services can be expected to be sold or resold to consumers;	Yes/No
	ii. for a quantity of goods or services that exceeds an amount that can be expected to be consumed by, or sold or resold to consumers;	Yes/No
	(c) It does not require a participant to pay any entry/registration fee, cost of sales demonstration equipment and materials or other fees relating to participation;	Yes/No
	(d) It provides a participant with a written contract describing the "material terms" of participation;	Yes/No
	(e) It allows or provides for a participant a reasonable cooling- off period to participate or cancel participation in the scheme and receive a refund of any consideration given to participate in the operations;	Yes/No
	(f) It allows or provides for a buy- back or repurchase policy for "currently marketable" goods or services sold to the participant at the request of the participant at reasonable terms;	
	Note: 1. Give details in regard to the above in an enclosure. 2. In case any of the answers in this para is 'No', Please provide full details with reasons in an enclosure.	
10	(a) Whether proper identity document(s) to all the Direct Sellers are issued	Yes/No
	(b) Whether you maintain "Register of Direct Sellers" wherein relevant details of verifiable proof of address, proof of identity and PAN as per the Income Tax Act.	Yes/No
	(c) What is the mechanism for payment of VAT? Give details.	
11	a. The website is proper and updated regularly with all relevant details, contact information, details pertaining to management, products, product information and complaint redress mechanism for direct sellers and consumers.	Yes/No
	b. There are arrangements for registering consumer complaints online or otherwise and grievances are resolved within 45 days of date of making such complaints. Details to be provided.	Yes/No
12	Notes/Remarks, if any.	

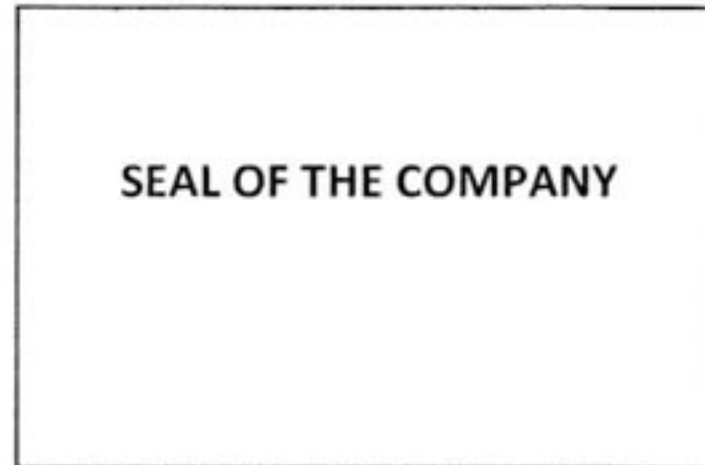
PART-C**(Direct Selling Business Details)**

I/We, in the capacity of of the..... company/firm declare that we are compliant with the following:

- (a) We do not promote a Pyramid Scheme, as defined in Clause 1(11) or enroll any person to such arrangement in any manner whatsoever in the garb of doing Direct Selling business.
- (b) We do not participate in Money Circulation Scheme, as defined in Clause 1(12) in the garb of Direct Selling of Business Opportunities.
- (c) We are Compliant with all the remaining aspects mentioned in the guidelines issued vide F.No . 21/18/2014- IT (Vol-II) date 9th September, 2016 by the department of consumers, Ministry of consumer Affairs, Food and Public Distribution and shall also provide such details as may be notified from time to time.

Place:

Sd/-



Name-----

Designation-----

Tel No-----

E-mail-----

List of documents to be provided:

1. Certificate of Registration/ Bye-laws/Memorandum of Association
2. List of Board of Directors, with contact details
3. Brief details of direct selling scheme and compensation plan.
4. Sample of contract with direct sellers/distributors.